AMITY UNIVERSITY
GWALIOR

SUMMARY SHEET

Criteria	4 – Infrastructure and Learning Resources
Key Indicator	4.1 Physical Facilities
Metric	4.1.3: Availability of General campus facilities and overall ambience **Rainwater Harvesting**
Response	Template Attached

Registrar
Amity University Madhya Pradesh
Gwalior

Rainwater Harvesting

Rain Water Harvesting Pit Marking

Rain Water Harvesting System

पृष्ठ 18+8 ■ मूल्य 3.00 ■ ग्वालियर ■ मंगलवार . 10 जनवरी 2017 ■ पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत् 2073

पत्रिका

सिटीजन . 05

patrika.com
पत्रिका . ग्वालियर . मंगलवार . 10.01.2017

निर्देश

हाईकोर्ट परिसर में वाटर हारवेस्टिंग के लिए अब तक क्या हुआ बताएं

शासन को भी पेश करना है पालन प्रतिवेदन

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. उच्च न्यायालय ने वाटर हारवेस्टिंग मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को निर्देश दिए है कि उच्च न्यायालय परिसर में वाटर हारवेस्टिंग के लिए अब तक क्या किया गया है, इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करें।

उन्होंने इस संबंध में कहा, त्वरित कार्रवाई की जाए। वहीं न्यायालय के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग तथा पीएचई सहित चार विभागों को पार्टी बनाया गया है। न्यायमूर्ति शील नागु तथा न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की युगलपीठ ने डॉ. राखी शर्मा द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। वर्ष 2016 में मानसून से पूर्व शहर मे वाटर हारवेस्टिंग कराए जाने के लिए पेश जनहित याचिका पर जब भी सुनवाई हुई तब न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की जाती रही कि क्या मानसून के बाद वाटर हारवेस्टिंग की जाएगी? शहर की समस्या को देखते हुए न्यायालय ने इस याचिका को प्रमुखता से लिया है। सोमवार को हुई सुनवाई मे युगलपीठ ने इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजू शर्मा के अनुसार चार विभागो को इस मामले में पार्टी बनाया गया है। इस मामले मे शासन की ओर प्रतिपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर न्यायालय ने कलेक्टर व निगम आयुक्त को अगली सुनवाई पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जेयू और एमिटी की प्रशंसा

सुनवाई के दौरान न्यायालय में जीवाजी विश्वविद्यालय तथा एमिटी विश्वविद्यालय की अधिवक्ता अनुराधा सिंह ने बताया, उनके द्वारा सबसे पहले प्रतिपालन रिपोर्ट पेश की गई थी। इस पर न्यायालय ने दोनो विश्वविद्यालयो की इस कार्य के लिए प्रशंसा भी की।

Patrika- 10.01.2017- Court appriciated AMITY University on water harvesting